

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

सहायक कलेक्टर के कार्यालय, 2022

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>मोरथल</u> पंचमो <u>मोरथल</u> भूअंनिवृत्त <u>आबरोड</u> तहसील- <u>आबरोड</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	117	45/2 46/2 48 50 51/2 52/2 53/2 56/2	0.1644 0.4679 0.1138 0.0253 0.2782 0.1770 0.0634 0.6070	बालू लाल पुत्र नगा हिस्सा 4363/9484 जाति भील सा. डोना खालेदार राहित हिस्सा - 8726/18968 (पूर्व खाता) राजस्थान कसबा श्रीमान डंड शोष खालेदार बंजुर	बालू लाल पुत्र नगा हिस्सा 4363/9484 जाति भील सा. डोना खालेदार राहित हिस्सा - 8726/18968 (पूर्व खाता) राजस्थान श्रीमान डंड शोष खालेदार बंजुर	राजस्थान राजधानी केंद्र श्रीमान डंड की पंजी 938 दि-24/12/25 अंश डंड की जाति राजस्थान श्रीमान डंड को ले शुद्धि दि जा 11 उचित है)	
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् 2012... <u>मोरथल</u> (अबरोड) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है। <u>आबरोड</u></p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटयारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		<p>पंहल्का <u>मोरथल</u> भूअंनि० <u>आबरोड</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>	<p>पंहल्का भूअंनि० राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जायेगा। सहायक कलेक्टर आबरोड (सिरोही) ह० उपखण्ड अधिकारी</p>
<p>दिनांक <u>26/2/22</u> पटयारी (भू. अ.) महोदय तहसील पटयारी पंचमो</p>				<p>दिनांक <u>26/2/22</u> ह० भूअंनि० आबरोड</p>		<p>दिनांक <u>27/2/22</u> ह० राजस्व अधिकारी</p>	